



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179297

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 4665

सन् 2026

विजेंद्र कुमार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

पुनीत कुमार

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 130 सन् 2020 के अन्तर्गत धारा 304 और 506 भारतीय दंड संहिता, थाना रोहनिया, जिला वाराणसी में अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह भी कहा गया है कि कथित घटना अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 27.02.2020 को हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 20 दिन बाद दिनांक 19.03.2020 को दर्ज की गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मृतक का ट्रक और सह-अभियुक्त राजेश कुमार की कार आपस में टकरा गए थे और उसके बाद सह-अभियुक्त और चार अन्य अज्ञात लोगों ने लोहे की रॉड, डंडे, घूंसे और लात से मृतक के साथ मारपीट की। मृतक की मौत दिनांक 01.03.2020 को चोटों के कारण हो गई और उसकी इनक्वेस्ट रिपोर्ट मृतक के पिता की मौजूदगी में तैयार की गई थी, लेकिन आवेदक के खिलाफ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चश्मदीदों के बयान का समर्थन नहीं करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को केवल एक चोट लगी थी, जो (दाहिनी) ऑर्बिटल मार्जिन के ऊपर से (दाहिनी) कान के बाहरी हिस्से तक फैली हुई 10x4 सेमी की सूजन थी। मृतक के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं देखी गई, जबकि आरोप यह था कि पांच लोगों ने मृतक के साथ मारपीट की थी। आगे यह भी कहा गया है कि इससे पहले आवेदक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 6317 सन् 2020 दायर की थी और इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ दिनांक 30.09.2020 के आदेश से अंतरिम सुरक्षा दी थी, हालांकि, दिनांक 15.11.2022 के आदेश से पैरवी न करने के कारण इसे खारिज कर दिया गया था। विवेचना के दौरान आवेदक को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उसने विवेचना में सहयोग किया। स्वतंत्र गवाहों ने कहा कि घटना उस तरह से नहीं हुई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष ने बताया था। स्वतंत्र गवाहों ने यह भी कहा कि मृतक को चोटें एक दुर्घटना में लगी थीं। इस प्रकरण में आरोप-पत्र पहले ही दिनांक 05.10.2020 को दाखिल किया जा चुका है और संबंधित न्यायालय ने दिनांक 03.02.2021 को प्रकरण का संज्ञान ले लिया है। आवेदक को अपनी गिरफ्तारी का डर है क्योंकि संबंधित न्यायालय ने दिनांक 31.01.2026 को जमानती वारंट जारी किया है, आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके खिलाफ आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आखिर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जब भी संबंधित न्यायालय द्वारा अपेक्षित होगा, तब उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की



स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, हालाँकि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है।

6. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. इस प्रकरण में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. **अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई, (2022) 13 एससीसी 764** प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

"11. ऊपर बताई गई बातों से पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते समय मजिस्ट्रेट के लिए यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जिस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को प्रकरण का संज्ञान लेने या अभियुक्त का विचारण करने का अधिकार है, उसे तुरंत आरोप-पत्र स्वीकार करना होगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे प्रकरण में मजिस्ट्रेट या न्यायालय को हमेशा समन जारी करना चाहिए, न कि गिरफ्तारी वारंट। यदि वह गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के तहत कारण दर्ज करने होंगे कि अभियुक्त या तो फरार है या समन का पालन नहीं करेगा या उस पर समन की विधिवत तामील का प्रमाण होने के बावजूद उपस्थित होने से इनकार कर दिया है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियाँ सावधानी बरतने के बारे में हैं।

12. जहाँ तक मौजूदा प्रकरण और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के तहत सामान्य सिद्धांतों का सवाल है, सबसे उपयुक्त टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में की गई टिप्पणियाँ, ऐसे अभियुक्त के संदर्भ में, जो अजमानतीय अपराध में अभियुक्त है और जिसकी विवेचना की अवधि के दौरान हिरासत आवश्यक नहीं थी, ऐसी

स्थिति में, अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा करना उचित है क्योंकि विवेचना के दौरान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसकी गिरफ्तारी न होना या उसे हिरासत में पेश न किया जाना ही उसे ज़मानत पर रिहा होने का हकदार बनाता है। इसके पीछे का तर्क स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कई सालों से आज़ाद घूम रहा है और विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो सिर्फ़ इसलिए कि आरोप-पत्र दाखिल हो गई है, अचानक उसकी गिरफ्तारी और जेल भेजने का आदेश देना ज़मानत देने के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ़ होगा। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं।"

9. इसलिए, अग्रिम ज़मानत से जुड़े कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना मेरी राय में, यह प्रकरण आवेदक को प्रकरण में विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत देने के लिए उपयुक्त है।

10. तदनुसार, अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र को इन निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त प्रकरण में शामिल आवेदक - **विजेंद्र कुमार** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, ₹50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और निष्पक्ष विचारण के लिए जब भी ज़रूरत होगी, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।

11. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की



गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

25 अगस्त, 2026

राधिका